बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या–1 / प्रा0आ0–0–3–31 / 14.................................. / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

।। अधिसूचना ।।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–4 / 2015–NDM-1 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों / तालाबो / गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 द्वारा अधिसूचित है।

2. उल्लेखनीय है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में आनेवाली चक्रवातीय तूफान का प्रभाव राज्य में भी पड़ता है, परन्तु स्थानीय आंधी–तूफान (Thunder Storm) से भी राज्य के जिले अधिकांश समय में प्रभावित होते रहते है। स्थानीय आंधी–तूफान को भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है तथा विभागीय अधिसूचना सं0–1418 / आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 में भी आंधी–तूफान को राज्य के स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल नहीं किया गया है। आंधी–तूफान से प्रत्येक वर्ष राज्य में व्यापक जानोमाल की क्षति होती है, जिसका कुप्रभाव सीधे जनमानस एवं राज्य के विकास पर पड़ता है। अतएव दिनांक–13.09.2017 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में आँधी–तूफान को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में सम्मिलित करते हुए राज्य के निवासियों को आँधी–तूफान के घटित होने की दशा में आँधी–तूफान से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. वर्त्तमान में स्थानीय प्रकृति की आपदा में नदियों / तालाबों / गड्ढ़ों में डूबने से हुए मृत्यु के मामले में अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जाता है, परन्तु नहर में डूबने से मृत्यु का उल्लेख विभागीय अधिसूचना में नहीं है। जबकि जिलों से नहर में डूबने की घटना प्रतिवेदित हो रही है। अतएव दिनांक–12.06.2018 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्थानीय प्रकृति की आपदा से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 1418 दिनांक–17.04.2015 में संशोधन करते हुए राज्य के विशिष्ट प्रकृति की आपदा में नदियों / तालाबों / गड्ढ़ों के अतिरिक्त नहरों में डूबने से होने वाली मृत्यु में व्यक्ति / व्यक्तियों के कुप्रभावित होने पर SDRF/NDRF के सदृश्य अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक–13.09.2017 में लिये गये निर्णय के आलोक में आँधी–तूफान को भी स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में सम्मिलित करते हुए राज्य के निवासियों को आँधी–तूफान के घटित होने की दशा में आँधी–तूफान से होने वाली जानोमाल की क्षति में SDRF/NDRF से संबंधित प्रकिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान / अन्य अनुदान प्रदान करने के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–12.06.2018 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 को संशोधित करते हुए स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के अंतर्गत नदियों / तालाबों / गड्ढ़ों के अतिरिक्त नहरों में भी डूबने से होने वाली मृत्यु में

व्यक्ति/व्यक्तियों के कुप्रभावित होने पर ही SDRF/NDRF से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान भुगतान करने के प्रावधान लागू होंगे।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1891 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1891 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1891 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1891 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव (DM), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, (आपदा प्रबंधन प्रभाग), नई दिल्ली को उनके पत्रांक–33–4/2015–NDM-1 दिनांक 20.03.15 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1891 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1891 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1891 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 16/7/18
प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अधिसूचना की प्रति एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है अधिसूचना गजट की सौ प्रति विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

प्रधान सचिव